न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 19/2024(पुरानी–42/2016)
प्रविष्टि दिनांक:– 13.03.2024(पुरानी–29.04.2016)
निर्णय दिनांक :– 21.05.2024

::–उनवान–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद राय गुप्ता निवासी धाकड़ कॉलोनी टोडारायसिंह जिला केकड़ी। पिनकोड 304505

2. मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज०। पिनकोड–304505

– **अप्रार्थीगण**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षी महेश कुमार गुप्ता स्वयं उपस्थित।

::–निर्णय–:: **दिनांक: 21.05.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.01.2016 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद राय गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना स्वीकार किया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में लकड़ी के काउन्टर में 250–250 ग्राम पैक के लगभग 150 पैकेट चाय(लक्ष्मी ब्राण्ड) रखी हुई थी। इस **चाय (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का निरीक्षण करने पर

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद राय गुप्ता को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद राय गुप्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में लकड़ी के काउन्टर में 250–250 ग्राम पैक के लगभग 150 पैकेट पैक्ड अवस्था में **चाय (लक्ष्मी ब्राण्ड)** के बैच नम्बर अंकित नहीं एवं पैकिंग की दिनांक कितनी थी, अंकित नहीं थी को ज्यो का त्यों पैक्ड अवस्था में 250–250 ग्राम पैकेट के 8 मूल पैकेट वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री महेश कुमार गुप्ता को रू 480/– अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री महेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय (लक्ष्मी ब्राण्ड)** की खरीदशुदा 8 पैकेट प्रत्येक 250–250 ग्राम पैक को दो–दो पैकेट के बराबर चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1243 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं महेश कुमार गुप्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1243 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री महेश कुमार गुप्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री महेश कुमार गुप्ता को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/994 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./03/एक्ट/2016/53 दिनांक 14.01.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **चाय (लक्ष्मी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय (लक्ष्मी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (MisBranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा **(ii)** के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8,000/— (अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.05.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
केकड़ी—राज0